न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–2024/52

1. श्योपतराम पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी हिन्दौर हाल आबाद चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

1. मनीराम पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी हिन्दौर हाल आबाद चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. वेदप्रकाश पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी हिन्दौर हाल आबाद चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
3. दर्शनलाल पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी हिन्दौर हाल आबाद चक 6 पीएचएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 17.02.26**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी शांतिप्रिय काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज काश्त है और यही एक मात्र जीविकोपार्जन का साधन है। प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 19 ता 23 सालम तादादी 1.2645 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी सपरिवार लम्बे अरसे से आजतक काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से कृषि भूमि चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 ता 10 सालम तादादी 2.2761 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं0 2 के नाम से चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 11 ता 14, 18 सालम तादादी 1.2645 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि व अप्रार्थी सं0 3 के नाम से चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 15 ता 17, 24, 25 सालम तादादी 1.2645 हैक्टर क0/अ0क0 कृषि भूमि है। प्रार्थी अपने रकबा मु0नं0 139/64 की तादादी 1.2645 हैक्टर कृषि है एवं अपने परिवार सहित उक्त कृषि भूमि पर काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि में आने–जाने व काश्त कार्य करने के लिए अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 2 में 12 फीट (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण) व किला नं0 10 में 24 फीट (उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम 12 फीट व पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 12 फीट) इसप्रकार कुल 36 फीट व अप्रार्थी सं0 2 के किला नं0 11 ता 13 प्रत्येक में 12–12 फीट (उत्तर दिशा में 4 फीट छोड़ते हुए पूर्व से पश्चिम) व किला नं0 14 में 12 फीट (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण) इसप्रकार कुल तादादी 48 फीट भूमि व अप्रार्थी सं0 3 के किला नं0 17 में 12 फीट (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण) भूमि में रास्ता हेतु उपयोग ली जाती रही है तथा उक्त रास्ता निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा था, तथा जिसे प्रार्थी लगातार उपयोग व उपभोग करता रहा था। जिस बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से रास्ता कटान बाबत् एक–दूसरे को भूमि की एवंज में भूमि प्रदान कर दिनांक 16.01.2018 को एक दस्तावेज निष्पादित करवाया था। अब कुछ दिन पहले अप्रार्थी सं0 1 ता 3 से प्रार्थी की अनबन हो गई तो अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने मेरा रास्ता बन्द कर दिया व रास्ता में बाड़ कर दी है, जिससे मुझे आने जाने में मुश्किल हो रही है, जब भी अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के मन में आती है, तो मेरा रास्ता बन्द कर देते है, उक्त रास्ते के अलावा मेरी कृषि भूमि में जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने मेरे चालू रास्ते में बाड़ कर दी, जब मैनें बाड़ को हटाना चाहा तो उन्होनें मुझे धमकी दी की आयन्दा यहा से गुजरा तो हम तेरी टांगे तोड़ देगें। इसलिए प्रार्थी क्षुब्ध होकर अपने अधिकारों की रक्षा हेतु उक्त प्रार्थनापत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट में पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि (चालू रास्ता) तहसील खाजूवाला चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 में 0.0184 है0 (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण,)किला नं0 10 में 0.0368 है0(उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.0184 है0 व पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 0.0184 है0) व अप्रार्थी सं0 2 के किला नं0 11 ता 13 प्रत्येक में 0.0184–0.0184 हैक्टर (प्रत्येक में उत्तर दिशा में 4 फीट जगह छोड़ते हुए पूर्व से पश्चिम) व किला नं0 14 में 0.0184 है0 (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं0 3

के किला नं0 17 में 0.0184 है0 (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण) भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम कर अंकन दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी सं0 4 को दिये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को पक्ष रखने हेतु रजि0 ए0डी0 नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 2, 3 हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम खीचड़ हाजिर आकर जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के मध्य प्रार्थनापत्र की मद सं0 4 में वर्णित तथाकथित दस्तावेज दिनांक 16.01.2018 जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से रास्ता कटान बाबत् अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 1 व 10 में रास्ते की एवंज में भूमि प्रदान करने के दस्तावेज के निष्पादन का कथन किया है जो कि अप्रार्थी सं0 1 की सहमति से कभी हुआ ही नहीं है। ऐसे तथाकथित दस्तावेज के निष्पादन जो कि हुआ ही नहीं अस्वीकार है। ना ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 द्वारा रास्ता हेतु भूमि उपयोग में ली जाती रही है ना ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को तथाकथित रास्ता भूमि के बदले में भूमि ही दी गयी है। प्रार्थी के द्वारा किला नं0 1 व 10 में रास्ता निरंत निर्बाध रूप से चलने का कथन भी पूर्णतया असत्य वर्णित किया गया होने से अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 द्वारा तथाकथित दस्तावेज दिनांक 16.01.2018 अप्रार्थी सं0 1 की बिना सहमति के छल कपट से कूटरचना कर तैयार कर इस प्रार्थनापत्र के साथ उपयोग में लिया गया है, ऐसे षड्यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज से अप्रार्थी सं0 1 अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ता देने को पाबंद नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद सं0 5 में वर्णित प्रार्थनापत्र को रंगत देने के उद्देश्य से असत्य वर्णित कर किय गए होने से अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में बतलाया गया कोई रास्ता चालू नहीं है, तो बाड़ करने व हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थनापत्र में वर्णित अप्रार्थी सं0 1 की मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 ता 10 सालम कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसका अप्रार्थी सं0 1 मालिक व काबिज काश्तकार है। प्रार्थनापत्र की मद सं0 6 में वर्णित कथन असत्य वर्णित किए गए होने से अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 3 की उक्त प्रकरण में व इससे पूर्व रास्ता बिना कीमत लेने को लेकर दुर्भिसंधि रही है। राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज होने का प्रार्थी का कथन गलतबयानी होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि भूमि के अप्रार्थीगण खातेदार मालिक काबिज काश्तकार है। स्वीकृतशुदा खेत रास्ता नियमानुसार प्रत्येक 2 मुरब्बा पर होता है। इसके अतिरिक्त खेत रास्ता काश्तकारान/पक्षकारान की आपसी सहमति से कीमतन प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसमें कम से कम भूमि उपयोग होकर अधिक से अधिक काश्तकार लाभान्वित हो। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की कृषि भूमि मु0नं0 139/64 में स्थित है। उक्त मुरब्बा के दक्षिण दिशा में मुरबा नंबर 140/57 के किला नं0 4 ता 7 की 04.00 बीघा भूमि रकबाराज व शेष भूमि जालूराम के वारिसान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मु0नं0 140/57 के किला नं0 21 ता 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता है, जिसमें पक्की रोड़ बनी हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 की मु0नं0 139/64 में क्रमशः किला नं0 23 व 24 में ढ़ाणी बनी हुई है व प्रार्थी चिपता हुआ किला नं0 18 अप्रार्थी सं0 2 का है। इसप्रकार मु0नं0 140/57 के किला नं0 25, 16, 15, 6, 5 की पूर्व दिशा में पक्का खाला के चिपता हुआ व किला नं0 5, 4 की उत्तर दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रास्ता मु0नं0 140/57 की किला नं0 21 ता 25 में बनी डामर रोड़ से जुड़ेगा जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 3 की ढ़ाणी सीधे पक्की रोड़ से जुड़ जाएगी व अप्रार्थी सं0 2 को भी 140/57 से जोड़ेगी, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 को कम खर्च पर सुगम रास्ता प्राप्त होगा तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 को पक्की रोड़ से जोड़ेगा । अतः उक्त रास्ता स्वीकृत होने पर कम से कम भूमि रास्ता में उपयोग होकर अधिक से अधिक काश्तकारान को रास्ता प्राप्त होगा। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के मु0नं0 139/64 के उत्तर दिशा मु0नं0 139/63 के किला नं0 21 ता 25 में भी खेत रास्ता है। मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 ता 10 की कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी है जिसके किला नं0 5, 6 की पूर्व दिशा में सिंचाई खाला के साथ साथ अस्थाई रास्ता अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ,3 को दे रखा है जो कि अप्रार्थी सं0 3 के किला नं0 15 से जाकर मिलता है। जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। **तहसीलदार खाजूवाला** के पत्रांक/4761 दिनांक 18.12.25 द्वारा रिपोर्ट/प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसके अनुसार चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 में अप्रार्थी मनीराम के पास किला नं0 2 ता 10 है व वेदप्रकाश के पास किला नं0 11 ता 14, 18 दर्शनलाल के पास किला नं0 15 ता 17, 24, 25 है। प्रार्थी श्योपतराम के पास किला नं0 19 ता 23 है जिसमें रास्ता की मांग की गई है। आरटीएक्ट की धारा 251 ए के प्रावधानुसार वादी को निकटतम दूरी से रास्ता उपलब्ध करवाना होता है। मुरब्बाबंदी के अनुसार प्रार्थी को किला नं0 1,10,11 (पश्चिम दिशा में) प्रत्येक 2–2 बिस्वा निकटतम रास्ता बनता है। परन्तु किला नं0 1 में डिग्गी व ढ़ाणी बने होने के

कारण किला नं0 1 में रास्ता का विकल्प उपलब्ध नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के रूप में निकटतम का रास्ता किला नं0 2 में 0.0253 है0(किला नं0 1 के चिपते), किला नं0 9 में 0.0253 है0(कोना), किला नं0 10 में 0.0253 है0 (किला नं0 1 के चिपते), किला नं0 10 में 0.0253 है0 (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण), किला नं0 11 में 0.0253 है0 (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण) प्रत्येक में 16.5 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। मौके पर मु0नं0 139/64 में किला नं0 5, 6 में रास्ता स्थित है (रिकॉर्ड में दर्ज नहीं)। प्रार्थी श्योपतराम पुत्र हंसराज द्वारा प्रस्तुत दावे में मु0नं0 139/64 में किला नं0 2 (पश्चिम में उत्तर से दक्षिण) किला नं0 10 में (उत्तर में पूर्व से पश्चिम व पश्चिम में उत्तर से दक्षिण), किला नं0 11 ता 13 (उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम) व किला नं0 14 (पश्चिम में उत्तर से दक्षिण) किला नं0 17 में (पश्चिम में उत्तर से दक्षिण) प्रत्येक में 0.0184 हैक्टर रास्ता चाहा गया है।

पत्रावली पर सुना । अप्रार्थी सं0 1 अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के मध्य प्रार्थनापत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथाकथित दस्तावेज सहमति पत्र व समर्पणनामा दिनांक 16.01.2018 जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से रास्ता कटान बाबत् अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 1 ता 10 में रास्ते की एवज में कृषि भूमि प्रदान करने के दस्तावेज के निष्पादन का कथन किया है जो कि अप्रार्थी सं0 1 सहमति से हुआ ही नही ंना ही किला नं0 1 व 10 की भूमि रास्ता हेतु उपयोग में ली जाती रही है और ना ही प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को तथाकथित रास्ता भूमि के बदले में कभी कही भूमि ही दी गयी थी। इसलिए प्रार्थी के किला नं0 1 व 10 में रास्ता निरन्तर निर्बाध रूप से चलने का कथन भी पूर्णत्या असत्य वर्णित किया गया होने से अस्वीकार है। इसप्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा कूटरचित दस्तावेज दिनांक 16.01.2018 जो कि अप्रार्थी सं0 1 की बिना सहमति व बिना जानकारी के षड्यंत्र पूर्वक तैयार किया गया होने से अप्रार्थी सं0 1 अपनी खातेदारी कृषि भूमि के किला नं0 1 व 10 में से रास्ता देने के लिए पाबन्द नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में बतलाया गया किला नं0 1 व 10 में कोई रास्ता कभी चालू नहीं रहा तो अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा बाड़ करने व हटाने का प्रश्न नहीं पैदा नहीं होता है बाड़ करने व हटाने का कथन पूर्णत्या असत्य वर्णित किया गया होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र की मद सं0 6 में वर्णित कथन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के नाम दर्ज होने के कारण वह प्रतिदिन मेरे से झगड़ा करते है व मनमर्जी से रास्ता बाधित कर देते है पूर्णत्या असत्य वर्णित किया गया होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं0 1 की भूमि के किला नं0 1 व 10 में ना कभी रास्ता था ना वर्तमान में प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में दिनांक 16.01.2018 को निष्पादित दस्तावेज के अनुसार किला नं0 1 व 10 में रास्ता देने को तैयार होने का कथन अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 की आपस में दुर्भिसंधि से तथाकथित दस्तावेज सहमति पत्र व समर्पणनामा दिनांक 16.01.2018 के आधार पर प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश कर मु0नं0 139/64 के किला नं0 1 व 10 में रास्ता देने, रास्ता चालू होने व रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का मनगढत कथन किया है। अप्रार्थी सं0 2, 3 की उपरोक्त प्रार्थनापत्र को लेकर आपस में दुर्भिसंधि होने के कारण न्यायालय में हाजिर होकर जवाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं0 2, 3 द्वारा जानबुझकर पेश नहीं किया गया है जबकि अप्रार्थी सं0 2, 3 प्रार्थी के साथ तहसील कार्यालय व हल्का पटवारी के समक्ष उपरोक्त प्रकरण में हाजिर आते रहे है। अप्रार्थी सं0 2, 3 प्रार्थी को अप्रार्थी सं0 1 से उसकी भूमि किला नं0 1 व 10 में रास्ता न्यायालय से स्वीकृत करवाकर बाद निर्णय अप्रार्थी सं0 1 की अधिक से अधिक भूमि रास्ता में गैरमुमकिन रास्ता भूमि करवाकर भूमि के टुकड़े टुकड़े करवाने के प्लान में प्रार्थी के साथ शामिल है। प्रार्थी के चिपते हुए मु0नं0 140/57 के किला नं0 4 ता 7 की भूमि रकबा राज है व शेष भूमि जालूराम के वारिसान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मु0नं0 140/57 के किला नं0 5,6,25,16,25 के चिपता हुआ पक्का खाला है। उक्त खाला के चिपते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 को खेत रास्ता दिया जा सकता है जो कि कम से कम भूमि खर्च कर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 के लिए सबसे सुलभ रास्ता साबित होगा। उक्त रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 के खेत ढ़ाणी को मु0नं0 140/57 के किला नं0 21 ता 25 में बनी पक्की डामर रोड़ से जोड़ेगा। मु0नं0 140/57 के किला नं0 5,6,15,16,25 के चिपता हुआ रास्ता यदि स्वीकृत किया जाता है तो यह रास्ता अप्रार्थी सं0 3 के किला नं0 25 को जायेगा। किला नं0 24 में अप्रार्थी सं0 3 की ढ़ाणी व किला नं0 23 में प्रार्थी की ढ़ाणी बनी हुई है, प्रार्थी के चिपता हुआ किला नं0 18 अप्रार्थी सं0 2 की भूमि है जिससे वे अपने अपने खेतो में आसानी से आ जा सकता है। अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 1 व 10 में किला नं0 2 के चिपते हुए किला नं0 10 में से यदि प्रार्थी को यदि खेत रास्ता दिया जाता है तो रास्ता में बार बार मोड़ आएगें व कृषि भूमि भी अधिक से अधिक खर्च होगी जो कि धारा 251 ए आरटीएक्ट की मंशा पूरी नहीं करता है इसलिए

प्रार्थी यदि इन्ही किला नं0 1 व 10 में से ही रास्ता चाहता है तो किला नं0 1 व 10 की पत्थर लाईन पर रास्ता अप्रार्थी सं0 1 को कृषि भूमि के बदले कृषि भूमि देकर दिया जावे। यदि मु0नं0 139/64 के किला नं0 1 व 10 की पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रास्ता में अनावश्क रूप से आने वाले मोड़ से बचा जा सकेगा और अनाश्यक भूमि खर्च नहीं होगी। अनवानी प्रकरण से पूर्व अप्रार्थी सं0 2, 3 ने खेत रास्ता हेतु एक प्रार्थनापत्र अनवान वेदप्रकाश वगै0 बनाम मनीराम आदि पेश किया था। इसप्रकार मु0नं0 139/64 के चारो काश्तकारों को खेत रास्ता की आवश्यक है। अप्रार्थी सं0 1 को उसकी खातेदारी कृषि भूमि के किला नं0 1 ता 5 के पिता हुआ रास्ता उपलब्ध है जो कि काश्तकारान के लिए सबसे किफायती खेत रास्ता मु0नं0 140/57 के किला नं0 5,6,15,16,25 से होकर मु0नं0 139/64 के किला नं0 25, 24 में से दिया जा सकता है जिसमें कम से कम भूमि खर्च कर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2, 3 के लिए सबसे सुलभ व सुगम रास्ता साबित होगा। यदि प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के खेत से ही रास्ता चाहता है तो प्रार्थी अपनी खेत के किला नं0 4, 5 के चिपते हुए सिंचाई खाला के समान्तर खेत रास्ता भूमि के बदले भूमि लेकर देने को तैयार है जो कि अप्रार्थी सं0 3 के किला नं0 15 को जोड़ेगा जहां से आगे किला नं0 14, 18 से होकर प्रार्थी के किलए नं0 23 को जाएगा। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 , 3 को खेत रास्ता प्राप्त हो जाएगा। मु0नं0 139/64 के समस्त काश्तकारों को खेत रास्ता धारा 251 ए आरटीएक्ट की मंशा को मध्यनजर रखते हुए रास्ता कटान के आदेश फरमावें ताकि कम से कम भूमि खर्च कर अधिक से अधिक काश्तकारान को खेत रास्ता उपलब्ध हो। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहाते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थनपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थी ने अपनी बहस अलग–अलग प्रकार के विकल्प बताए है जबकि माननीय न्यायालय को विकल्प बताने का अप्रार्थी को अधिकार नहीं है। साथ ही अप्रार्थी अधिवक्ता के जवाब व बहस से साबित होता है कि प्रार्थी को वर्तमान में कटानशुदा रास्ता मौजुद नहीं है एवं रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमान जावें एवं रास्ता भूमि के प्रतिफल के रूप में नियमानुसार डीएलसी राशि भरवाई जावें।

पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के वर्तमान में कोई कटानशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है इसलिए तहसीलदार रिपोर्ट में अंकित रास्ता विकल्प के अनुसार रास्ता कटान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा चक 6 पीएचएम बी मु0नं0 139/64 के किला नं0 2 में 0.0253 है0(किला नं0 1 के चिपते), किला नं0 9 में रास्ते के सामने 16.5 चौड़ा व 16.5 लम्बा(कोना), किला नं0 10 में 0.0253 है0 (किला नं0 1 के चिपते), किला नं0 10 में 0.0253 है0 (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण), किला नं0 11 में 0.0253 है0 (पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण) रास्ता भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर अप्रार्थीगण को देवे एवं नियमानुसार उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिशिचत करें पत्रावली फैसल'ुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)